**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 109

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**बच्चों को गृह कार्य न दिया जाना**

\*109. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गृह कार्य न दिए जाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इन बच्चों द्वारा विद्यालय में लाई जाने वाली पुस्तकों की संख्या सीमित कर दी है ताकि उनके बस्तों का भार कम किया जा सके?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**'बच्चों को गृह कार्य न दिया जाना' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री मोहम्मद अली खान द्वारा दिनांक 20.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 109 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।**

(क) और (ख): नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रारंभिक शिक्षा (8वीं कक्षा तक) के पूरा होने तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्‍चों के लिए आसपड़ोस के स्‍कूल में नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के अधिकार की व्‍यवस्‍था है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 29(1) में यह उल्‍लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्‍यांकन प्रक्रिया उपयुक्‍त सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्‍यम से निर्धारित किए जाने वाले शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, या बिना विधानमंडल वाले, संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्‍थापित, स्‍वामित्‍व वाले और नियंत्रित स्‍कूल के संबंध में ही उपयुक्‍त सरकार है। अन्‍य मामलों में, राज्‍य सरकारें और संघ राज्‍य सरकारें जहां विधानमंडल हैं, उनके क्षेत्र में स्‍थापित स्‍कूल के संबंध में उपयुक्‍त सरकारें हैं।

एनसीईआरटी द्वारा बनाए गए राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढ़ांचा (एनसीएफ) – 2005 के अनुसार, कार्य पर समय की अवधारणा ऐसे कुल समय पता लगाने के लिए अनिवार्य गणक (रेकनर) है जो बच्‍चों ने सक्रिय रूप से अधिगम में बिताया है। इसमें श्रवण, पठन, लेखन, कार्यकलाप करना और विचार विमर्श आदि पर व्‍यतीत किया गया समय शामिल है। बच्‍चों के लिए विशेष रूप से बहुग्रेड कक्षाओं, अधिगम कार्यकलापों की आयोजना और उन्‍हें डिजाइन करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित हो कि बच्‍चों का अधिकतम समय कार्य पर लगे। छात्रों से जो कुल अध्‍ययन समय फेस-टू-फेस और सव-अध्‍ययन अथवा गृह कार्य में क्षेत्रों में अपेक्षित है, उसकी गणना उन छात्रों, जो विशेष रूप से क्‍योंकि वे अच्‍चतर ग्रेड में जा रहे हैं, के अध्‍ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या की आयोजना करते समय की जाती है।

इसके अतिरिक्‍त, एनसीएफ, 2005 में सभी स्‍कूलों से कक्षा I और II में किसी भी प्रकार का गृह कार्य न देने की शिफारिश की गई है। मिडिल स्‍कूल के लिए, एक दिन में एक घंटे का गृह कार्य निर्धारित है (सप्‍ताह में लगभग पांच से छह घंटे)। माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक कक्षाओं के लिए, एक दिन में दो घंटे का गृह कार्य निर्धारित है (सप्‍ताह में लगभग दस से बारह घंटे)।

राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढ़ांचा (एनसीएफ) – 2005 में ‘भारमुक्‍त अध्‍ययन’ नामक यशपाल समिति रिपोर्ट (1993) को देखते हुए पाठ्यचर्या भार से संबंधित मामले का समाधान भी किया गया है। एनसीएफ में यह उल्‍लेख किया गया है कि बोझिल विश्‍वकोश प्रकार की सूचना से भरी पाठ्यपुस्‍तकों के कारण ‘भारी स्‍कूल बैग’ शारीरिक असुविधा का सामान्‍य स्रोत है। इस समस्‍या का समाधान करने के लिए, एनसीएफ ने रटने की पद्धति से अध्‍ययन में जाने, स्‍कूल से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ने, पाठ्यपुस्‍तक केन्द्रिक रहने के बजाय बच्‍चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को पोषित करने और परीक्षा को अधिक लचीला बनाने और कक्षा जीवन में एकीकृत करने पर जोर दिया है।

एनसीईआरटी ने इस संदर्भ में निम्‍नलिखित पहलें की हैं:

(i) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्‍तकें, पाठ्यचर्या संबंधी भार पर एनसीएफ 2005 परिप्रेक्ष्य को परिलक्षित करती हैं और ये परस्पर संवादात्मक और बाल केन्द्रित शिक्षाशास्‍त्र पर आधारित हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्‍तकें और अन्‍य शिक्षण अध्‍ययन सामाग्री इसकी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्‍ध है।

(ii) एनसीईआरटी ने पूर्व बाल शिक्षा के लिए कोई पाठ्यपुस्‍तक विकसित नहीं की है (एलकेजी, यूकेजी)।

(iii) एनसीईआरटी ने कक्षा । और ।। के लिए केवल दो पाठ्यपुस्‍तकों (भाषा और गणित) और कक्षा III से V के लिए तीन पाठ्यपुस्‍तकों (भाषा, ईवीएस और गणित) की शिफारिश की है।

(iv) एनसीएफ 2005 ने यह सुझाव दिया है कि स्‍कूलों को उनकी लचीली समय तालिका विकसित करने की स्‍वायत्‍ता दी जानी चाहिए जिससे स्‍कूल कार्यकलाप करने के लिए छात्रों को अधिक समय देते हुए और अवधारणा की गहरी समझ विकसित करते हुए प्रतिदिन दो या तीन विषय पढ़ा सके। एनसीईआरटी शिक्षक और स्‍कूल प्रमुख के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित मामले का समाधान करती है।

(v) ई-पाठशाला मंच जिसमें कक्षा I से XII के छात्रों के लिए ई-संसाधन हैं।

केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्‍कूलों को यह सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें दिनांक 13 अगस्‍त 2018 के परिपत्र के तहत कक्षा – II तक के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाता है। सीबीएसई ने स्‍कूल बस्‍ते के भार को कम करने के संबंध में एनसीईआरटी पाठ्यचर्या के अनुसार, कक्षा – I – VIII में निर्धारित की जाने वाली पाठ्यपुस्‍तकों की संख्‍या विनिर्दिष्‍ट करते हुए परिपत्र जारी किए हैं।

तथापि, यह देखा गया है कि स्‍कूल विशेष रूप से निजी स्‍कूल उपरोक्‍त सलाह का पालन नहीं कर रहे हैं और बच्‍चों के लिए अतिरिक्‍त पुस्‍तकों और गृह कार्यों की शिफारिश करते हैं। इसको देखते हुए, केन्‍द्र सरकार ने इस मामले में माननीय मद्रास उच्‍च न्‍यायालय न्‍यायाधिकरण के एम. पुरूषोतमन बनाम भारत संघ और अन्‍य -2017 की रिट याचिका 25680 में दिनांक 29.05.2018 के आदेश के अनुपालन में सभी राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को दिनांक 05/10/2018 को पत्र जारी किया है।

**\*\*\*\*\***